



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068

Web: [dfccil.com](http://dfccil.com)

No. 2019/HQ/Admin/RTI-706

New Delhi: 16.10.2019

Sh. Yogendra Singh Chauhan  
S/o Sh. Ganga Singh  
Radha Vihar Colony 4 shar Gali No.1  
Hazeera Gwalior  
MP  
Mobile-8962355572

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

**Reference: Your RTI Application dated 04.10.19 received through CPM/Tundla's office on 14.10.19.**

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached.

Appellate Authority's name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,  
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: [skpanda@dfcc.co.in](mailto:skpanda@dfcc.co.in)

9717636811

DA: 03 sheets.



(16)

**डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड**  
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)  
**DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक सं०- CNB/EN/RTI/16(A)/Y-19/M-10/(10)

Date- 10-10-2019

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,  
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,  
टुण्डला (आगरा)

विषय:- श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, राधा बिहार कालोनी चारशहर (गली नं०-1) हजीरा, ग्वालियर द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-1. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत, आपके कार्यालय में प्राप्त योगेन्द्र सिंह का पत्र दिनांक 03.10.2019 आपके कार्यालय की पत्र सं० TDL/EN/260 दिनांक 09.10.2019

2. आपके कार्यालय में प्राप्त योगेन्द्र सिंह का अपत्ति दिनांक 05.09.2019 आपके कार्यालय की पत्र सं० TDL/EN/306 दिनांक 05.09.2019

3. आपके कार्यालय में प्राप्त योगेन्द्र सिंह का अपत्ति दिनांक 10.05.2019 आपके कार्यालय की पत्र सं० TDL/EN/06 दिनांक 10.05.2019


4. इस कार्यालय का पत्र CNB/EN/ETW/124(A) Date-09.12.2018

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत, आपके पत्र दिनांक 09.10.2019 जो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, डी०एफ०सी०सी०आई०एल०, कानपुर को सम्बोधित हैं, इस कार्यालय में ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिसके साथ सन्दर्भित पत्र सं० -2 व 3 संलग्न किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र-4 CNB/EN/ETW/ 124(A) Date-09.12.2018के माध्यम इस सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र गंगा सिंह का जानकारी प्रदान की जा चुकी है। जिसकी ध्याप्राप्ति सुलग्न सन्दर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोक्तानुसार।

  
10-10-19

सहायक परियोजना प्रबन्धक  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल./कानपुर।



(284)  
(15)

**डेडीकैटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड**  
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)  
**DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक: CNB/EN/LA/ETW/124(A)

दिनांक: - 09.12.2018

योगेन्द्र सिंह पुत्र गंगा सिंह,  
ग्राम- मोढी तह- भरथना  
जनपद-इटावा,

विषय:- डेडीकैटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड(रेल मंत्रालय) भारत सरकार की पूर्वी विशेष रेल मालभाडा परियोजना के निर्माण में ग्राम- मोढी तह0 भरथना जनपद-इटावा के गाटा प्लॉट क्रेता के बैनामा के आधार पर प्रतिकर भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:- (1)सक्षम प्राधिकारी/अपर जलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर के पत्र सं0 CNB/EN/LA/ETW/124(A)  
(2)उप निबन्धक भरथना जिला-इटावा के पत्र सं0 125

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके बैनामा का सत्यापन उप निबन्धक भरथना जिला-इटावा से कराया गया, उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उप निबन्धक भरथना द्वारा सन्दर्भित पत्र दो के अनुसार आख्या प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि सलग्न बैनामा नोटरी कृत है, जो कार्यालय उप निबन्धक भरथना के अभिलेखों में दर्ज नहीं है (जिसकी प्रति सलग्न है)। इस बैनामा के आधार पर भूमि पर आपका भू-स्वामित्व नियमानुसार वैध नहीं है।

अतः आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रपत्रों के आधार पर प्रतिकर भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।

सलग्नक-यथोक्तानुसार।

  
उप परियोजना प्रबन्धक/ईजी0  
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0  
/ कानपुर।  
09-12-2018

उपनिबन्धक कार्यालय, भरथना (इटावा)

14

283

पत्र सं०- 125-

दिनांक- 6-12-18

सेवा में,

अपर, जिलाधिकारी / वित्त

इटावा।

विषय:- ग्राम- मोदी, तहसील- भरथना, जिला- इटावा, में प्रभावित प्लॉटों के बैनामा सत्यापन के सन्दर्भ में।

सन्दर्भ:- सक्षम प्राधिकारी /अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर के पत्र सं० - CNB/EN/LA/ETW/124(A)


दिनांक- 27.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि डेडीकेटेड फेड कॉरिडोर, रेलवे परियोजना द्वारा ग्राम मोदी, तहसील-भरथना, जिला- इटावा, के गाटा संख्याओं के आधार पर 1 प्लॉट क्रेता के विक्रय पत्र (बैनामा) में से 1 प्लॉट बैनामा के प्रार्थना पत्र / विक्रय पत्रों का सत्यापन अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय को उपलब्ध कराने की चाही गयी थी। जिनका आपके कार्यालय द्वारा प्रभावित भूस्वामियों का बैनामा सत्यापित कर निम्नलिखित सूची दी जा रही है।

क्र०सं०	कास्तकार का नाम	गाटा सं०	रकबा		बैनाम सं०
			वर्ग फीट	हे०	
1	योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगासिंह	1/5	2500	0.0232	अलग बैनामा नोटरीकृत है। कार्यालय कार्यालयों में यह बैनामा दर्ज नहीं है।

अतः उपरोक्त सत्यापित 1 प्लॉट बैनामा तैयार कर अग्रिम कार्य हेतु सेवा में प्रेषित है।

  
उपनिबन्धक भरथना  
जिला-इटावा  
उप निबन्धक  
भरथना (इटावा)

सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर जिलाधिकारी / वित्त इटावा।
2. सक्षम प्राधिकारी /अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर।

✓

का सं० 125/18 (पत्र सं० 124(A))